न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः– श्री भागीरथ साख आर. ए. एस

प्रकरण संख्याः– 101/2017 प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट 1956

सुनिल कुमार पिता छीतरमाल जोशी जाति जोशी उम्र वयस्क निवासी सुभाष नगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा ..प्रार्थी

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता लक्ष्मण जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी बन का खेड़ा तहसील कोटडी
2. श्री रुपा पिता कजोड़ जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी बन का खेड़ा तहसील कोटडी
3. श्री नानूराम पिता कजोड़ गाडरी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी बन का खेड़ा तहसील कोटडी
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब कोटडी जिला भीलवाडा

...विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–::आदेश::– दिनांकः – 11/05/2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 13.04.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बन का खेड़ा पटवार हल्का बन का खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा की सरहद मे मुझ प्रार्थी की खातेदारी की आराजी संख्या 1877/2 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खातें की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करायें जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संम्बंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है एवं विपक्षीगण बावजूद सुचना के उपस्थित नही हुये है । विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कियें जाने के आदेश प्रदत्त कियें जातें हैं एवं संबधित भू. अ. निरीक्षक सवाईपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सूचित करने के उपरांत पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटड़ी के तलब की जावें ।

–::आदेश::–

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटड़ी के ग्राम बन का खेड़ा पटवार हल्का बन का खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा की सरहद मे मुझ प्रार्थी की खातेदारी की आराजी संख्या 1877/2 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा पर पत्थरगढ़ी उभयपक्षों को सूचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढ़ी की जावें । प्रार्थीगण इस कार्य के लियें कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटड़ी के निर्देशानुसार राशि 750/–रूपयें वक्त पत्थरगढ़ी कमिश्नर भू.अ. निरिक्षक को जमा करायेगा । खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ. निरीक्षक द्वारा पत्थरगढ़ी की जाकर पालना करें ।

प्रतिलिपि :–तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढ़ी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।